भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या –83/2023–24

आदेश	कि गई कार्रवाई

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी पटमदा के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान है :–

1. विक्रेता/दाता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता/दाता और क्रेता/ग्रहिता दोनों ही पिछड़ी जाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. ग्रहिता/क्रेता एवं दाता/विक्रेता दोनों ही एक ही जिला के निवासी हैं, जिस जिला के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरूद्व कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (ख) के अन्तर्गत विक्रेता/दाता :– **चुनी बाला महतो, पति–स्व0 भादु महतो,** जाति–**कुर्मी**, ग्राम–**बनकुचीया**, थाना–**कमलपुर** , **अंचल–पटमदा, जिला–पूर्वी सिंहभूम** को मूल्य–**2,00,000/**–रूपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता/ग्रहिता :–**राजा राम महतो, पिता–अनिल महतो**, जाति–**कुर्मी**, ग्रामः– **बाँगुड़दा**, थाना–**कमलपुर** , अंचल–**पटमदा**, जिला–**पूर्वी सिंहभूम**, के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बनकुचीया	113	279 231	3469 3347 कुल–	24.44डी0 3डी0 27.44डी0

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

23/8/24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धालभूम, जमशेदपुर

Digitally signed by GOUTAM KUMAR
Date: 2024.08.27 15.07.21 +05:30
Location: 10.93.20.53

e:\bheem sir\cnt 46\patmada\final (ख).docx